भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1702

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में स्टार्ट अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना

1702. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में अब तक स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की कुल संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में, विशेषकर टियर-दो और टियर-तीन के शहरों में, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु के स्टार्ट अप्स के लिए पर्याप्त वित्तपोषण, मार्गदर्शन और अवसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(घ) सरकार द्वारा रोजगार सृजन और समावेशी विकास के लिए पारंपरिक क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट अप्स को किस प्रकार समर्थन देने की योजना है; और

(ङ) क्या सरकार का तमिलनाडु में युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किसी नई योजना या प्रोत्साहन का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2019 की सा.का.नि अधिसूचना 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, तमिलनाडु राज्य में कुल 13,780 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक कार्य-योजना का शुभारंभ किया, जिसमें देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाने

के लिए परिकल्पित स्कीमें और प्रोत्साहन शामिल हैं। इस कार्य-योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग जगत-अकादमिक क्षेत्र की साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों से संबंधित 19 कार्य मदें शामिल हैं।

सरकार, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह सहित समय-समय पर विभिन्न कार्यकलाप और कार्यक्रम भी लागू करती है, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम-आधारित पहलों को भी प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों के लिए नेटवर्क और सहयोग प्रदान करने के लिए एक वाइब्रेंट मंच के रूप में काम करती है। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक खरीद को सक्षम करने के लिए की गई पहलें, स्टार्टअप्स को अपने व्यवसायों को बढ़ाने और स्केलिंग अप करने में सहायता प्रदान करती है। इन उपायों को, विनियामक सुधारों और ईकोसिस्टम के विकास संबंधी अन्य आयोजनों और कार्यक्रमों द्वारा बल प्रदान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में, मान्यताप्राप्त स्टार्टअप ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख वित्त पोषण स्कीमों के माध्यम से वित्त पोषण और इन्क्यूबेशन सहायता का लाभ उठाया है। 31 दिसंबर 2025 तक, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस) के तहत सहायता प्राप्त वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) ने तमिलनाडु के स्टार्टअप में 1394.19 करोड़ रुपए का निवेश किया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के तहत, सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटरों ने तमिलनाडु के स्टार्टअप को 54.87 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) के तहत, राज्य के स्टार्टअप्स को 84.6 करोड़ रुपए के ऋण की गारंटी प्रदान की गई है। तमिलनाडु के 312 स्टार्टअप्स को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-आईएसी के तहत पात्रता प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हुआ है, ताकि वे लगातार तीन

कर निर्धारण वर्षों के लिए पात्र व्यवसाय से प्राप्त मुनाफे और लाभ के 100 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती का दावा कर सकें।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पारंपरिक क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी सेक्टरों और क्षेत्रों में स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने और तमिलनाडु राज्य सहित देशभर में युवाओं के बीच नवप्रयोग और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। ऐसे उपायों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

******

अनुबंध-I

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1702 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरों, कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. क्षमता निर्माण और सहायता

राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग ('एसआरएफ') कार्यक्रम के तहत गैर-महानगरीय शहरों सहित सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि क्षेत्रीय ईकोसिस्टम विकसित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें सहायता प्रदान की जा सके। विशेष रूप से महानगरों और क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों के इन्क्यूबेटरों के लिए मॉनीटरिंग, क्षमता विकास और सहायता सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

2. आउटरीच और जागरूकता

देशभर में स्टार्टअप्स के लिए आउटरीच और जागरूकता कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं, जिसमें महानगरों से बाहर के क्षेत्र भी शामिल हैं। इन कार्यकलापों में, गैर-महानगरीय शहरों के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से वित्तपोषण, इन्क्यूबेशन, मार्गदर्शन और व्यावसायिक लिंकेज के अवसर प्रदान करना शामिल हैं। विभिन्न स्टार्टअप शोकेस भी आयोजित किए जाते हैं, जहां स्टार्टअप निवेशकों के समक्ष अपने व्यवसाय प्रस्ताव रखते हैं और क्षमता निर्माण कार्यकलापों में भाग लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है।

3. ईकोसिस्टम विकास संबंधी आयोजन और कार्यक्रम

राष्ट्रीय ईकोसिस्टम के विकास संबंधी विभिन्न समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे स्टार्टअप महाकुंभ, जो देश के विभिन्न हिस्सों से ईकोसिस्टम को एक साथ लाकर नवप्रयोग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है; पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्र के उभरते उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और उद्यमिता पर एसेंड (स्टार्टअप क्षमता और उद्यमशीलता के अभियान को गति प्रदान करना) जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं; और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात् 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह आयोजित किया जाता है, ताकि पूरे भारत के हितधारकों के साथ मिलकर उद्यमिता का उत्सव मनाया जा सके और नवप्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

4. अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर और लिंकेज

भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप20 एनगेजमेंट ग्रुप को संस्थागत रूप दिया गया था ताकि विशालतम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य और पारस्परिक सहयोग को सुगम बनाया जा सके। भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप20 एनगेजमेंट ग्रुप की बैठकें और एनगेजमेंट पूरे देश में आयोजित किए गए, जिससे वैश्विक बाज़ार, विजिबिलिटी और भारत के क्षेत्रीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज के क्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार से सरकार भागीदारियों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी, वैश्विक आयोजनों की मेजबानी और विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के माध्यम से और अधिक विकसित किया जाता है, जिससे परस्पर सहयोग को प्रोत्साहन प्राप्त होता हैं।

5. ईकोसिस्टम में भागीदारी को प्रोत्साहित करना

सरकार ने भारत में उद्यमशीलता ईकोसिस्टम के हितधारकों के लिए स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल शुरू किया है, ताकि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संसाधनों, जानकारियां और विभिन्न लाभों की जानकारी प्राप्त हो सकें। यह पोर्टल, विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को डिजिटल रूप से एक्सेस करने में सक्षम बनाता है, जिससे गैर-महानगरीय शहरों और क्षेत्रों के उद्यमियों और स्टार्टअप्स की दृष्टि से पहुंच में सुधार लाया जा सके।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1702 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तमिलनाडु राज्य सहित देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:

1. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इन पहलों में, स्वावलंबिनी कार्यक्रम, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएमजनमन), पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए), प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम (पीएम एसजीएमबीवाई स्कीम) और उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं/ आकांक्षी उद्यमियों को, स्वरोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में चुनने हेतु विचार करने के लिए प्रेरित करना है।

3. आयुष मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), स्वायत्त निकाय ने शैक्षणिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए नए युग के उद्यमों का क्लस्टर तैयार करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एआईआईए-आयुर्वेद नवप्रयोग और उद्यमिता इन्क्यूबेशन केंद्र (एआईआईए-आईसीएएनईएनई) की स्थापना की है।

4. नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन (ऐम), अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप (सीआईएफ) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के युवाओं में नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

5. शिक्षा मंत्रालय का नवप्रयोग प्रकोष्ठ (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) शैक्षणिक संस्थानों में नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

6. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत (माई भारत) नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना जैसी युवा-केंद्रित पहलें शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य, अनुभव आधारित शिक्षण कार्यक्रम (ईएलपी), स्वयंसेवा के अवसर, मेंटरशिप कार्यक्रम आदि के माध्यम से युवा विकास और युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक व्यवस्थागत प्रणाली उपलब्ध कराना है।

7. रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवप्रयोग स्कीम (आईडेक्स) और आईडेक्स सहित प्रौद्योगिकियों के विकास में उत्कृष्टता (अदिति) स्कीम, स्टार्टअप्स को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रही हैं।

8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास एवं नवप्रयोग (आरडीआई) स्कीम को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग युवाओं में नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नवप्रयोग विकास एवं उपयोग पहल(निधि) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस पहल में निधि-प्रयास (प्रोटोटाइप अनुदान सहायता), निधि-ईआईआर (उद्यमी-इन-रेजिडेंस फेलोशिप) और निधि-आईटीबीआई (टियर-II और टियर-III क्षेत्रों में समावेशी टीबीआई) शामिल हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत चार विषयगत केंद्र (टी-हब) स्थापित किए गए हैं।

9. अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने अनुसंधान क्षेत्र की समस्याओं का मिशन-मोड में प्राथमिकता-आधारित, समाधान-केंद्रित समाधान करने के लिए उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन (महा) कार्यक्रम शुरू किया है।

10. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) अपने घटक प्रयोगशालाओं/संस्थानों के माध्यम से "एकीकृत कौशल पहल कार्यक्रम" को कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करके युवा प्रतिभाओं को अपेक्षित प्रौद्योगिकी कौशल प्रदान करना है।

11. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने बायोनेस्ट (जैव-इन्क्यूबेटर प्रौद्योगिकियों के विस्तार के लिए उद्यमिता को बढ़ावा) और ई-युवा (युवाओं को नवोन्मेषी अनुसंधान कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना) स्कीमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और प्री-इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं।

12. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जेनेसिस (नवप्रयोग स्टार्टअप्स के लिए अगली पीढ़ी सहायता)

स्कीम, टाइड 2.0 (प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यमियों का विकास) स्कीम और इंडिया एआई मिशन जैसी पहलें शुरू कर रहा है।

13. सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत एमएसडीई, देशभर में विभिन्न स्कीमों, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

14. ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के माध्यम से गैर-कृषि आजीविका क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों की सहायता करती है।

15. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए), अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 'सीखो और कमाओ', 'विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद), 'नई रोशनी' और 'नई मंजिल' जैसी विभिन्न कौशल विकास स्कीमें कार्यान्वित करता है। इन स्कीमों और पहलों को अब 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन' (पीएम विकास) नामक एकीकृत स्कीम के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है।

16. स्टैंड-अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराना है, जिसके तहत प्रत्येक बैंक शाखा में कम-से-कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) ऋणप्राप्तकर्ता और एक महिला ऋणप्राप्तकर्ता को विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने और कृषि से संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।

17. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू), भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि विकास स्कीम (आरकेवीवाई) के तहत वर्ष 2018-19 से "नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और देश में एक इन्क्यूबेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

*****